

नम्बर २  
अहकाम  
हुक्म की  
में जा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा  
(बईजलास श्री दिवांशु शर्मा आर. ए. एस.)

प्रकरण संख्या - 96/2020 प्रार्थनापत्र एलआर

दायर दिनांक - 24/7/2020

निर्णय दिनांक - 15/09/2020

अनवान

श्री बालु पिता उंकार कुम्हार निवासी डंगास तह. बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

बनाम

1. श्री हरी तेली पिता माधु तेली निवासी निम्बाहेडाकला तह. बनेड़ा जिला भीलवाड़ा ।
2. श्री देबी शर्मा पिता पोखर शर्मा निवासी कोटडी तह. बनेड़ा जिला भीलवाड़ा ।
3. श्री हरदेव पिता राजु भील निवासी डंगास तह. बनेड़ा जिला भीलवाड़ा ।
4. श्री प्रहलाद दरोगा पिता बनोहर दरोगा निवासी कोटडी तह. बनेड़ा जिला भीलवाड़ा ।
5. श्री भंवर दरोगा पिता देवकरण दरोगा निवासी कोटडी तह. बनेड़ा जिला भीलवाड़ा ।
6. राजस्थान राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब बनेड़ा जिला भीलवाड़ा ।


.....प्रार्थी  
.... विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956  
उपस्थित :- श्री मुरारी जोशी वकील प्रार्थी

:-आदेश:-

दिनांक 15.09.2020

1. प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम कोटडी पटवार मण्डल निम्बाहेडा कला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी की भूमि की खाता संख्या 89 का आराजी संख्या 248 , 249 , 250 कुल किता 3 रकबा 4-16 बीघा भूमि दर्ज रिकॉर्ड है जिसके कोई पुख्ता सीमाचिह्न नहीं होने की वजह से पड़ौसियान से अकसर विवाद होता रहता है। प्रार्थी ने पड़ौसान से अपनी आराजियात बाबत पत्थरगढ़ी कराने के लिए कहा किन्तु उनके द्वारा इन्कार कर दिए जाने से यह प्रार्थनापत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी की उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान किया जावे ।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये समन तलब किया गया । विपक्षीगण बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं । इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए गए ।
3. मामले में प्रार्थी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं मनन किया गया। प्रार्थी उक्त आदेश की चरण सं. 1 में वर्णित आराजियात का खातेदार काश्तकार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य है।

  
उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा

-: आदेश:-

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम कोटडी पटवार मण्डल निम्बाहेडा कला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी की भूमि की खाता संख्या 89 का आराजी संख्या 248 , 249 , 250 कुल किता 3 रकबा 4-16 बीघा भूमि की पत्थरगढी बसामलात समस्त पड़ोसान के किये जाने का आदेश पारित किया जाता है । उक्त आदेश की पालना मे तहसीलदार बनेडा को 500/-रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते है कि पक्षकारान को पूर्व मे सूचित कर उनकी उपस्थिति मे पत्थरगढी की जावे । कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(दिवांशु शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा